भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3087
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

3087. श्री लुम्बा राम :

क्या **बिधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंचायत स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित मनरेगा के तहत मजदूरी के भुगतान में देरी ने संबंधित मामलों को ग्राम न्यायालयों और मोबाइल कोर्ट के माध्यम से निपटाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित देश भर में राज्यवार कुल कितने ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं ;

(ग) क्या बुनियादी ढांचे की कमी के कारण ग्राम न्यायालय ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राम न्यायालयों के लिए कुल कितना बजट आवंटित और खर्च किया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी नहीं। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, जो 2 अक्तूबर, 2009 से प्रवृत हुआ, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी दहलीज पर सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करना है। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(5) के अनुसार,राज्य सरकारें अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ऐसे प्रत्येक ग्राम न्यायालय में जो मोबाइल न्यायालय आयोजित करता है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पंक्ति का एक अधिकारी न्यायाधिकारी नियुक्ति करती हैं । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तत्वाधान में "ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता" शीर्षक से एक योजना स्कीम शुरू की गई थी और इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए गए थे।

आज तक, 15 राज्यों ने 481 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित करके ग्राम न्यायालय स्कीम को क्रियान्वित किया है जिनमें से स्कीम के आरंभ से 10 राज्यों में 309 क्रियात्मक स्थिति में है । अधिसूचित एवं क्रियाशील ग्राम न्यायालयों (राजस्थान सहित) का राज्यवार विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य	अधिसूचित ग्राम न्यायालय की संख्या	क्रियाशील ग्राम न्यायालय
1	मध्य प्रदेश	89	89
2	राजस्थान	45	45
3	केरल	30	30
4	महाराष्ट्र	39	26
5	उड़ीसा	24	20

6	उत्तर प्रदेश	113	92
7	कर्नाटक	2	2
8	हरियाणा	3	2
9	पंजाब	9	2
10	झारखंड	6	1
11	गोवा	2	0
12	आंध्र प्रदेश	42	0
13	तेलगांना	55	0
14	जम्मू-कश्मीर	20	0
15	लद्दाख	2	0
	कुल	481	309

जहां तक गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के अधीन मजदूरी के भुगतान में देरी से संबंधित विवादों के निपटारे का संबंध है, धारा 30, अनुसूची 1 द्वारा मनरेगा अधिनियम के विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांत समय समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शिकायतों को प्राप्त करने उनकी जांच करने और पचांट जारी करने के लिए प्रत्येक जिले में एक लोकपाल को नियुक्त करने के लिए राज्य आदेश देती है। भौतिक पद्धति के साथ-साथ (लोकपाल ऐप) इलैक्ट्रानिक माध्यम से शिकायतों को प्राप्त करने का उपबंध है ।

(ग) और (घ) : अवसंरचना ही एकमात्र ऐसा मुद्दा नहीं है जो ग्राम न्यायालयों के कामकाज में बाधा बन रहा है । अध्ययनों ने अन्य कारकों को भी प्रकाश में लाया है, जैसे कई राज्यों में न्यायाधिकारियों के पदों को भरना, लोक अभियोजकों, नोटरी की अनुपलब्धता और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की सामान्य कमी राज्यों से ग्राम न्यायालयों का सीमित आर्थिक क्षेत्राधिकार, अपर्याप्त कर्मचारी, अपर्याप्त वित्तीय सहायता भी है । इसके अतिरिक्त् नियमित न्यायालयों के अतिव्यापी क्षेत्राधिकार का मुद्दा कुछ राज्यों में ग्राम न्याय के संबंध में धीमी गति से आगे बढ़ने का एक और कारण है। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों में पंचायत स्तर पर कार्य करने वाली न्यायालयों की अपनी समानांतर प्रणालियाँ हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 राज्य सरकारों के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना को आज्ञापक बनाता है।

स्कीम के आंरभ होने से राज्यों को 8340.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2024) में 28 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की गई, जिसमें से 8.80 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए थे।

****